Emerging Trends in Education [Vol. VI - No. 2. February 2016. pp 91-95]

नारी सशक्तिकरण की संकल्पना एवं सहयोगी घटक : एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य

डॉ0 अंजू राय*

सृष्टि निर्माण से लेकर उसके विकास तथा उन्नयन में पुरूष की अपेक्षा नारी का योगदान कम नहीं है। भारतीय इतिहास के अरूणोदय काल से जन–मानस में नारी का पूज्य स्थान रहा है। भारतीय दर्शन शास्त्रों में 'शिव' की अपेक्षा 'शक्ति' को, 'पुरूष' की अपेक्षा 'प्रकृति' को 'ब्रह्म' की अपेक्षा 'माया' को सृष्टि की रचना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 'शक्ति' तत्व के सक्रिय होने पर ही सृष्टि, सृजन एवं संचालन संभव बताया गया है। प्रस्तुत लेख में महिलाओं को राष्ट्रीय विकास की धारा में भागीदार बनाने, नारी सशक्तिकरण के सहयोगी घटकों की पहचान कर उनके क्रियांन्वयन पर ध्यान आकृष्ट किया गया है क्योंकि स्वंय नारी, ग्राम पंचायतों, समाज एवं सरकारी तंत्र द्वारा इस सम्बन्ध में व्याप्त विषमताओं को दूर करने पर ही नारी सशक्तिकरण का सपना वास्तविक अर्थों में साकार हो सकता है।

किसी भी राष्ट्र का उत्थान नारी शक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः नारी र्सवशक्तिसम्पन्न, विद्या, यश सम्पति की प्रतीक समझी जाती है। इस देश की संस्कृति में यह मान्यता हमेशा रही है कि नारी, नर के द्वारा ही शक्तिमान होती है। नारी के बिना अकेला पुरूष अपूर्ण और अधूरा समझा जाता रहा है। भारत में सैद्धान्तिक रूप में आज भी और हमेशा से स्त्रियों की मर्यादा का आदर हुआ है। इस प्रकार नारी शक्ति, धन और ज्ञान का प्रतीक मानी गयी है।

नारी सशक्तिकरण मौजूदा दौर का सर्वाधिक लोकप्रिय नारा ही नहीं वर्तमान समय की मांग भी है। यह नारा कुछ वर्षों के प्रयासों का परिणाम नहीं है। दरअसल यह जागरूकता दो– तीन शताब्दी पहले से ही किसी न किसी रूप में समाज के कुछ विशिष्ट तबकों में पैठ बना चुकी थी। आज से काफी समय पहले से ही नारी सशक्तिकरण के पूर्ववर्ती रूप–'पुरूष समानता जैसे मुद्दों का महत्व समझते हुए राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर इस दिशा में प्रयास होते रहे हैं। कुछ प्रयास सार्थक रहे तो कुछ गुमनामी के अधेंरों में खो गये। वर्ष 1611 ऐसे ही सार्थक प्रयासों में पहल का वर्ष रहा जब अमेरिका के मेसाच्यूसेट्स राज्य में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यह अलग बात है कि यह अधिकार 1780 में उनसे छीन लिया गया लेकिन पहली बार वोट देने के अधिकार की प्राप्ति को निःसन्देह समानता की ओर पहला कदम तो माना ही जा सकता है

अमेरिका में ही 'प्रथम महिला अधिकार सम्मेलन (1948), न्याय, समानता एवं अधिकारों के मुद्दों को लेकर सम्पन्न हुआ। यद्यपि इसके पूर्व ही गर्भपात निरोधक अधिनियम (1803 ब्रिटेन), सती

* प्रवक्ता, वल्लभ विद्यापीठ इंटर कालेज, वाराणसी।

प्रथा समापन (1829 भारत,) विधवाओं का पुनर्विवाह (1856 भारत) जैसे प्रयास किये जा चुके थे, किन्तु इन प्रयासों में समाज सुधारकों एवं जन आन्दोलनों का प्रत्यक्ष प्रभाव था न कि स्वयं महिलाओं का। 18 मार्च, 1957 को अमेरिका में सिलाई वस्त्रोद्योग की महिला मजदूरों ने पुरूषों के समान वेतन व दस घंटों के निश्चित कार्यावधि की मांग करते हुए हड़ताल कर दी। लम्बे संघर्ष के बाद उन्हें सफलता मिली। इस सफलता की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी। तब से आठ मार्च, 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में मनाया जाने लगा।

वर्ष 1840 से ब्रिटेन एवं अमेरिका में मताधिकार हेतु महिलाओं के आन्दोलन की परिणिति 'नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन' (1869, अमेरिका) के रूप में हुई जिसका विश्वव्यापी प्रयास यह रहा कि महिलाओं को प्रथम बार मत देने का अधिकार (न्यूजीलैण्ड 1893, अमेरिका 1920, ब्रिटेन 1828) प्राप्त हुआ।

एक दूसरी बड़ी सफलता सन् 1936 ई0 मे मिली जब नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी तीन महिलाओं के साथ मंत्री बनी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तब से अनेक देशों में इस दिशा में प्रयास होते रहे लेकिन 70 के दशक से इन प्रयासों को एक नई दिशा मिली, जब संयुक्त राष्ट्रसंघ ने वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 'और 1975–1985 के दशक को महिला दशक घोषित किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ चतुर्थ विश्व सम्मेलन जो बीजिंग (1990) में सम्पन्न हुआ, ने महिला सशक्तिकरण के प्रति विश्व की प्रतिबद्धता को एक बार पुनः नवीन ऊर्जा प्रदान की और अभूतपूर्व रूप में विश्व का ध्यान महिला मुद्दों की ओर आकृष्ट किया। सम्मेलन ने पूर्ण सम्मति के साथ बीजिंग घोषणा पत्र को स्वीकार और कार्यमंच को अंगीकार किया। यह वास्तव में महिला सशक्तिकरण की ही रूपरेखा थी। इस कार्य मंच (प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन) ने उन 12 विशिष्ट क्षेत्रों को पहचाना जिनमें महिलाओं की प्रगति बाधित है तथा विभिन्न देशों की सरकारों, नागरिकों व समाज से अपेक्षा की कि वे इस दिशा में स्थिति सुधारने हेतु ठोस कार्य करेंगी। ये 12 क्षेत्र थे–

- महिलाएं एवं गरीबी
- महिलाओं की शिक्षा और उनका प्रशिक्षण
- महिलाएं एवं स्वास्थ्य
- महिलाओं के प्रति हिंसा
- महिलाएं एवं सशक्त संघर्ष
- सत्ता एवं निर्णय–निर्माण में महिलायें
- महिलाओं की प्रगति हेतु संस्थात्मक यांत्रिकी
- महिलाओं के मानवाधिकार
- महिलाएं एवं मीडिया

- महिलाएं एवं पर्यावरण
- बालिकाएं

बीजिंग कार्य मंच को स्वीकार कर विभिन्न सरकारों ने इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी कि उनकी सभी संस्थाओं, नीतियों, योजनाओं व निर्णय– निर्माण में लैंगिक आयाम को प्रभावी रूप से सम्मिलित किया जायेगा। इसका सीधा तात्पर्य यह था कि किसी भी निर्णय को लेने या योजना को कार्यान्वित करने से पहले विश्लेषण किया जाय कि स्त्री व पुरूष दोनों पर इसका क्या प्रभाव होगा।

कार्यमंच का समर्थन कर संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने सभी राज्यों, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों साथ ही गैर सरकारी संगठनों व निजी क्षेत्र से आग्रह किया कि वे इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठायें। नारी हमारी राष्ट्रीयता की भी प्रतीक है परन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी व्यावहारिक रूप में भारत में स्त्रियों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए आवश्यक कुछ सहयोगी घटकों को पहचान कर उन्हें वास्तविक रूप में कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। नारी सशक्तिकरण से सम्बन्धित आवश्यक सहयोगी घटक निम्नलिखित हैं–

- **शैक्षिक सशक्तिकरण :**

  शिक्षा, महिला सशक्तिकरण का एक सबल माध्यम है और महत्वपूर्ण घटक भी है। शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति पैदा होती है। वे अपने प्रति हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक भेद–भाव को पहचान कर उसका प्रतिकार करने योग्य बन सकती है। शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने पर ही महिलायें कानून द्वारा दी गयी सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। जब हम चाहते हैं कि महिलाएँ राष्ट्रीय विकास की धारा में भागीदार बनें तब उनका शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है।

- **निर्णय लेने की क्षमता का विकास :**

  महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक है कि उनका चहुँमुखी विकास किया जाय, नियम एवं कानून के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाया जाय। इसके लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था विचारणीय है। अब महिला जन प्रतिनिधियों को पुरूष प्रधान राजनैतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए खुद को तैयार करना होगा साथ ही स्थानीय लोग, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएँ सभी को मिलकर उन्हें सहयोग देना होगा। महिलाओं को भी छोटे–छोटे समूह बनाकर विभिन्न विषयों (मुददों) पर गंभीरतापूर्वक विचार–विमर्श करना चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास का संचार होगा व घर के कामकाज के साथ ही वे बैठकों में भाग लेने, योजना बनाने उन्हें क्रियान्वित करने, निर्णय लेने एवं लागू करने में सक्षम बनेंगी।

- **स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता :**

महिलाओं को सबल बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यद्यपि सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार किया है परन्तु अशिक्षा, परम्परावादी दृष्टिकोण एवं जागरूकता की कमी के कारण आज भी मातृ–मृत्युदर 677 प्रति लाख है। इसको कम करने के लिए उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कराना होगा। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है। पंचायतों को उन स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, बच्चों के जन्म देने, उनकी देख–रेख करने आदि से सम्बन्धित समस्त सुविधाओं का विस्तार करना होगा। वहाँ बच्चों के टीकाकरण एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल का प्रबन्ध भी होना चाहिए।

- **आर्थिक आत्मनिर्भरता :**

सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता की है। परिवार में अधिक श्रम महिलाओं को ही करना पड़ता है परन्तु उनका श्रम पूर्णतः अवैतनिक रहता है। सुबह से रात तक घर और खेती के कार्यों में जूझती महिलाओं के श्रम का अंधिकाश प्रतिफल पूरे परिवार को मिलता है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के श्रम का उचित मूल्यांकन हो ताकि उनके श्रम का सही प्रतिफल उन्हें मिलें। इसके लिए उन्हें शिक्षित–प्रशिक्षित भी होना पड़ेगा। आठवीं एवं दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं को शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाय। लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण लेने पर वे अपना रोजगार स्थापित कर सकती हैं जिससे परिवार की आय में वृद्धि होगी। इस दिशा में 'स्वयं सहायता समूह' अधिक कारगर साबित हो रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएँ छोटी–छोटी बचत को इकट्ठा करके पूँजी निर्माण कर रही हैं।

- **अधिकारों के साथ कर्तव्य के प्रति जागरूकता :**

हमारे संविधान से लेकर सामाजिक रीति–रिवाजों में भी महिला एवं बालिकाओं को अनेक अधिकार दिये गये हैं। इन अधिकारों की जानकारियाँ नहीं होने से महिलायें अनेक लाभों से वंचित रह जाती हैं। अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्यों की जानकारी भी महिलाओं को होनी चाहिए। उन्हें समाज में पुरूषों के साथ मिलकर कार्य करना होता है। समाज में पुरूष और महिलायें दोनों मिलकर परिवार रूपी गाड़ी को चलाते हैं। समाज में ऐसी व्यवस्था विकसित होनी चाहिये जिससे कानूनी, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की ठीक से जानकारी प्राप्त हो सके।

- **सामाजिक कुरीतियाँ समाप्त करना :**

समाज में बाल–विवाह, पर्दा–प्रथा, नशाखोरी, पुत्र को अधिक प्राथमिकता, भ्रूण हत्या आदि अनेकों कुरीतियाँ फैली हुयी हैं। नारी की उपेक्षा उसके जन्म से ही प्रारम्भ हो जाती है। उपेक्षा के फलस्वरूप ही महिलाओं को लाभकारी व्यवसायों में काम करने की इजाजत

नहीं दी जाती है। पंचायतें इन मामलों में प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। वे गलत मान्यताओं को छोड़कर उपयोगी बातों पर विचार आरम्भ कर सकती हैं।

- **कौशल विकास से क्षमता बढ़ाना :**

  लड़कियों के घरेलू काम–काज करने पर तो विशेष ध्यान दिया जाता है, परन्तु बाहर के काम को सीखने पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि उन्हें बाहर के काम–काज करने का अवसर ही नहीं दिया जायेगा तो उनमें वह कार्य करने का कौशल नहीं विकसित होगा। क्रय–विक्रय करना, बैंक व कार्यालयों के काम, बैठकों में भाग लेना, उद्योग–धन्धों का संचालन करने जैसे अनेक कार्य की जिम्मेदारी महिलाओं को जागरूक एवं कुशल बना सकती हैं। वे सिलाई–कढ़ाई, बुनाई आदि मशीनें लगा सकती हैं साथ ही उन्नत कृषि व डेयरी की जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकती हैं। यदि महिलायें इन कार्यों को करें तो उनमें कौशल का विकास होगा एवं अपनी क्षमताओं को पहचान कर वे अपने परिवार के विकास में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकती हैं। इस प्रकार वे नारी सशक्तिकरण के सपनों को साकार कर सकती हैं।

सन्दर्भ :

- अग्निहोत्री, आई (1995) : इन्वोल्विंग वूमेन्स एजेण्डा : रिपोर्टफ्राम बीजिंग, इकोनामिक एण्ड पौलिटिकल वीकली, मुम्बई, 30 (5)
- नकवी, हेना (2005) : महिला विकास : अबतक के प्रयास, कुरूक्षेत्र, अंक 5 मार्च 2005 पृ. 19
- राष्ट्रीय महिला आयोग (2001) : समानता की ओर अपूर्ण कार्य– भारत में महिलाओं की स्थिति, पृ. 19 व 307।